Regularisation of contract labourers

*64. SHRI S. V1DUTHALA1VIRUMBI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whetherMt is a fact that the Supreme Court has recently ruled that the workers (contract labourers) would not be automatically absorbed as regular employees; and

(b) if so, what action has been taken or is proposed to be taken to protect the interests of the contract workers?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and the Rules made thereunder contain provisions for protecting the interests of the contract labour in respect of working conditions, payment of wages and other amenities relating to their welfare and health.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, in my opinion, the recent judgement delivered by the Supreme Court permanently affects the contract labour of India, and the future of all sectors in every industry. Sir, the reply given by the hon. Minister is, "The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and the Rules made thereunder contain provisions for protecting the interests of the contract labour in respect of working conditions, payment of wages and other amenities relating to their welfare and health." The question raised by me was whether the Government has taken any action, or, does the Government propose to take any action, to protect the interests of the contract labour in India. To this, the reply given to this House is, 'There is an Act*. Sir, the hon. Members of this august House know that there is an Act called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act. But I want to know what action has been taken by the Government to implement the Act. We have to review this in the background that under the Contract Labour Act, protection has already been given to the contract labour through Section 10(a). Sir, protection has already been given. But my apprehension is that protection given through this Section 10(a) of the Act has been diluted by the recently-delivered judgement of the Supreme Court. Sir, this should be seen in the background in which we are actually positioned. As far as the human development index is concerned, we

are actually behind 130 countries. India's skilled manpower ...*(Interruptions)*... it affects the contract labour. 1 want to point out how contract labour emerged in India. India's skilled manpower is 3.52 per thousand; while in Japan it is 110 per thousand; in Israel it is 76, USA—55, Brazil—21.3, and in China it is 8.3 per thousand. Sir, this is the position of skilled manpower. Sir, regarding human capital formation, we are spending only 3 per cent of the GDP on education. For the purpose of education, we are spending a total of 3 per cent of the GDP, while the world average is 4.8 per cent. Public expenditure on health *(Interruptions)* it all affects the labour section. Sir, about expenditure on health *(Interruptions)* in India we are spending only 0.7 per cent, while the world average is 2.5 per cent. ...*(Interruptions)*... 1 am coming to that. *(Interruptions)* How the contract labour emerged...*(Interruptions)*...\ am giving the reason. *(Interruptions)* They are simply quoting the law. *(Interruptions)* I can tell you very frankly...*(Interruptions)*...that the overall employment in the organised sector, that is including the public sector, is only 0.45 per cent per year. Dr. Oberoi, the 1LO Director, had given a grim warning...*(Interruptions)* This is connected with the question. I quote: "The employment situation in India is very grim and the country is required to create 10 million jobs annually to maintain the present situation". This is the condition, Sir. If it is so, 1 would like to know from the hon. Minister whether he is going to utilise this Act to protect the interests of the contract labour, which has been diluted by the judgement delivered recently by the Supreme Court, because a 13-member Task Force, headed by Shri Montek Singh Ahluwalia, recommended that there should be a provision to outsource the contract labour. Taking this into account, I want a categorical reply from the hon. Minister whether he is going to take steps to protect the interests of the contract labour.

श्री शरद यादव : सभापति जी लेबर के बारे में विरूम्भी जी ने जो विस्तार से सवाल पूछा है, उस का इस सवाल से कोई वास्ता नहीं है। यह आप ने बिल्कुल ही डिफरेंट सवाल कर दिया। तो आप उस के लिए अलग से सवाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट एअर इंडिया के बारे में था और स्टील अथॉरिटी में मामले में उन्होंने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट के बाद हमारे पास 1970 का जो एक्ट है, वही एक आधार है । उस के अंतर्गत जो प्रोटेकशन दिया गया है उस प्रोटेशन पर सरकार बाकायदा सचेत है। हम उस पर एक्शन भी लेते हैं और हम ने 48 नोटिफिकेशन इश्यू किये हैं जो रूल्स के अंतर्गत हैं, कानून के अंतर्गत हैं। जहां पर वेजेज फिक्स हैं, उनकी जो वीकली सुविधाएं है, उनके जो छुट्टी के दिन हैं, काम के ऑवर्स हैं, उनके लिए केंटीन का मामला है, टॉयलेट कि सुविधा मामला है, उनको वेजेज ठीक से मिल रहे या नहीं मिल रहे हैं, यह अधिकार हमारे पास है। कांट्रेक्ट्स के मामले में और खासकर सेंट्रल गर्वमेंट

वाले कांट्रेक्टर्स हम रजिस्टर करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट अलग रजिस्टर करती हैं, लेकिन जो कांट्रेक्टर्स हम रजिस्टर करते हैं। उनके बारे में बाकायदा जाच होता है। उन के करीब 700 -800 केसेस के बारे में हम ने जांच कि है। इस प्रकार निश्चित तौर पर उन के हितों कि रक्षा के संबंध में जो हम को कानूनी अधिकारी है, वह लगातर मॉनीटर होता रहता है और जहां कहीं गड़बड़ होती है, उस पर हम एक्षन भी लेते हैं और केस भी चलाते हैं।

SHRI S. VIDUTHALAIVIRUMBI: Sir, my second supplementary is...

MR. CHAIRMAN: No, please. You have already put ten questions.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: But, Sir, it is very important.

MR. CHAIRMAN: I know, but you have taken more time.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, my second supplementary is with regard to Air India. Please allow me, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I had put a question relating to protection of the interests of contract labour, but the hon. Minister had replied about the facilities provided to the contract labour. My second supplementary is this. I would like to know whether Air India has, actually, made a proposal to the Government to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, as well as the Industrial Disputes Act, 1947, to enable the company to outsource manpower for its non-core activities and reduce the staff number per aircraft, in tune with the industry average. Has such a request been made by Air India, and if so, what action the hon. Minister is going to take on that particular suggestion? Because, if it is accepted, it will affect the workers.

श्री शरद यादवः सर, एअर इंडिया के मामले में जजमेंट था, उसको तो दूसरी बेंच ने क्वैश कर दिया है। अब कांट्रेक्ट लेबर के मामले में 1970 का जो कानून है, उसमें प्रोटेक्शन है लेकिन absorption कि बात कहीं से भी और किसी जगह से भी नहीं निकाली कि उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए भले ही वह एअर इंड़िया का सवाल हो या किसी और सवाल हो।

SHRIGOPALSINHG. SOLANKI: Sir, as far as the question of protecting the interests of labour, in view of the Supreme Court judgement is concerned, it has to be protected, as per the law also. But, in many of the cases, though the contract labours are paid wages, those wage's are not according to, or in consonance with, the law. They are not given the benefit under the Provident Fund Scheme: they are not given gratuity also. Is the Government thinking of introducing this facility to be provided by the Government contractors or private contractors who are supplying these labour?

श्री शरद यादवः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने वाजिब सवाल उठाया है, लेकिन सरकार अभी फिलहाल जो कानून है उसके दायरे में हैं। वह कानून पूराना पड़ चुका है, इतना पुराना हो गया है कि उसमें कई चीजें हैं, जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। जैसा वेजेज एक्ट में कहा गया है कि 1600/-रूपए जिसको प्राप्त होते हैं यह कानून उन पर लागू होगा। मैं समझता हूं कि आज सभी 1600/-रुपए से ऊपर पाते हैं। और हम चाहते हैं कि निश्चित रुप से कांट्रेक्ट लेबर के मामले में जो कनून हैं, उसमें सोशल सिक्योरिटि का जो नेट है, वह बढे ,उसका विस्तार हो। इसके लिए सरकार इस काम में लगी हुई है ,हम लोग लगे हूए है। माननीय सदस्य ने जो कहा है,उस मामले में निश्चित रुप से प्रोटेक्शन की जरुरत है, जो प्रोटेक्शन अभी कम है, वह प्रोटेक्शन सिक्योरिटि के मामले में होना चाहिए। इस प्रोटेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कानून को बदला जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग उसे तैयार करके आपके समक्ष माननीय सदन में लाएंगे ताकि सब लोग उस पर बहस कर सकें और इसे ठीक कर सकें।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act is an Act of 1970. The spirit of the legislation is to regularise the contract labour, and, in future, to abolish it. In spite of this Act being there from 1970, the number of contract workers is increasing day by day. Sir, I know personally that for the last three decades, about 1600 workers in the IRE, which comes directly under the Department of Atomic Energy, which portfolio is held by the hon. Prime Minister, are working as contract labour. The recent judgement of the Supreme Court is totally adverse to it because, in this way, their right to get regularised is being taken away. So, my question to the hon. Minister is whether, in order to grant this right to the contract labour, a new legislation would be brought before the House so that the right of the contract labour to get regularised, at least, after putting in 10 years or 20 years of service, is protected. I want to know whether such a legislation for protecting the right of the workers will be brought before the House. This is part (a) of my question.

Sir, part (b) of my question is: what action did the Government take to contain the number of contract workers in these three decades?

श्री शरद यादव: सभापति जी, पूर्व में माननीय सदस्य ने जो पूछा था ,उसके बाद जो आपने पूछा है, वह एक ही बात है। हम कोशिश कर रहे हैं। इस काम में लगे हुए हैं कि नया लेबर ला, लेजिस्लेशन लाया जाए। उसमें हमें देखने है कि किस तरह का, किस तरह से लाया जाए। जैसा आपने कहा कि बीस-बीस,तीस-तीस साल से लोग लगे हुए है, कोर सेक्टर में लगे हुए है, दूसरी जगह लगे हुए हैं, अब उनको कैसे रेगुलराइज करना है, इस कानून से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इसीलिए लेबर ला के मामले ,कांट्रेक्ट लेबर के मामले में सब प्रकार की बातचीत करके कि इसमें क्या किया जाए, हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग इसमें कोई रास्ता निकालकर आपके सामने माननीय सदन में आएंगे।

SHRI JIBON ROY: Sir, two inter-related questions are involved in this particular question. I want a specific answer on this from the hon. Minister. According to the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, there is a provision that there should not be any employment of temporary workers in permanent jobs, perennial jobs. This is the provision of the Act. But the problem has arisen because the employers are violating that provision of the Act. The employers employ temporary workers in jobs of permanent nature. Because of these irregularities, the Supreme Court came out with a judgement relating to Indian Airlines and Air India. The Supreme Court said that 'henceforth, the people who will be employed irregularly, have got to be absorbed'. The Supreme Court, in a recent judgement, has questioned that provision of the Act. But, in the Act, that provision still remains, that there should not be any employment of temporary workers in permanent jobs. So, I have to put two questions to the hon. Minister. Sir part (a) of my question is this. I want to know whether, after this judgement by the Supreme Court, the Government will strengthen the existing Contract Labour (Regulation and Abolition) Act so that it comes out of the Supreme Court judgement, and the people who are working in perennial jobs are absorbed.

Part (b) of my question is: whether the hon. Minister will give an assurance that the existing Contract Labour (Regulation and Abolition) Act will not be further diluted, while making new laws. These are the two assurances I want from the hon. Minister. The hon. Minister, in his answer, has stated that the labourers are protected by the existing Act, but talks are going on to dilute the existing Act too, so that temporary labour can be employed in permanent jobs. I want an assurance from the hon. Minister that no such change will be made in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act. The second assurance that I want is that, he will strengthen the Act so that the recent judgement of the Supreme Court does not affect the provisions in the Act, but the past judgement prevails.

श्री शरद यादव: सभापति जी, इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हैं, वह इस मामले में बहुत साफ हैं। आप उसे अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। हम अपने तरीके से पढ़ सकते हैं । लेकिन जो अभी ऐग्जिमिस्टिंग लॉज हैं, उनमें तो सैंटर लैवल पर भी ट्राइपरटाइट कमेटी होती है, स्टेट लैवल पर भी होती है और निश्चित तौर पर उसमें सारे केस देखे जाते हैं और इस मामले में लगभग 3500 केस हमने दायर किये हैं। मैं कम बता रहा था लेकिन ...(**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY: You are not answering my specific question. In the existing law there is a provision that no temporary worker can be employed in

jobs of permanent, perennial nature. I would like to know whether that provision will be retained and the existing workers will be absorbed when changes are made in the law.

श्री शरद यादव: सभापति जी, इस मामले में मैंने पहले से ही कहा कि हम लोग इसमें लगे हुए और इसमें किसी तरह का पक्का ऐश्योरेंस देन की हालत में नहीं हूं क्योंकि दो-चार मिनिस्टर्स के बीच में यह डिस्कशन हैं।

†श्री मोहम्द आजम खान: सभापति जी , श्री जीवन राय ने जो सवाल किया है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अभी चंद रोज पहले लेबर कमेटी में जाने से मुझे कुछ बातों का इल्म हुआ है। एक तो यह बात बिल्कुल सही है परमानेंट नेचर का जॉब का मजदूरों से नहीं लिया जा सकता लेकिन जितनी भी कोयला खाने हैं उन कोयला खदानों में जो मजदूरों काम करते है, उनमें ज्यादातर ठेके पर काम करने वाले मजदूरों से ही काम लिया जाता है और परेशानी यह है कि उनके लिए कोई सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं हैं। हादसे होते हैं तो मरने वाले ज्यादातर ठेके के मजदूर होते है न उन्हें कैप मिलती है , न उन्हे पूरा मिलह है और उससे ज्यादा आफसोसनाक यह है कि ढेके के मजदूरों के साथ एक दोहरा अन्याय होता है कि उन्हें मिनिमम वेजेज भी नहीं मिलता है। किसी भी राज्य में काम करने वाला कोई मजदूर, चाहे वह परमानेंट नेचर के काम पर हो या नान पर परमानेंट नेचर के काम पर हो, उसे मिनिमम वेजेज़ से नहीं नकारा जा सकता लेकिन इन मजदूरों को, जो खाद के कारखानों में काम करते हैं, या कोयला खादानों में काम करते हैं, जिनका काम परमानेंट नेचर का काम है और बहुत ही रिस्की काम है, उनको मिनिमम वेजेज़ नहीं दिया जा रहा है। तीसरी परेशानी यह है कि एक मुद्दत, मुताइयन है कि इससे ज्यादा जो मज़दूर काम करेगा या इतने दिन पूरे कर लेगा, उसको मुस्तकिल नौकरी दे दी जाएगी लेकिन बावजूद इसके कि इन्हें काम करते हुए उससे ज्यादा दिन हो गए हैं लेकिन उन्हें मुस्तकिल मुलाज़िम नहीं माना गया है। इसके अलावा जो परमानेंट ऐम्पलाइज़ हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, उनको सारी सहूलियतें हैं—रहने की, बिजली की, पानी की, बच्चों के स्कूल की, सवारी की, ये सारी सहूलियतें उनको मिलती है और केंटीन में उन्हें खाना एक रुपए की एक डाइट मिलती है लेकिन ये मज़दूर जो ठेके पर काम करता है, न इसे टोपी मिलती है सर पर लगाने के लिए, न पहनने के लिए जूता मिलता है, न ही इसकी तनख्वाह है, न रहने के लिए मकान है, न आने के लिए सवारी है और केंटीन में इसको जो मिलने वाला खाना है, उसकी क्वालिटी और कैलोरीज़ बहुत कम है और इसके खाने की कीमत भी 15 रुपए डाइट है। तो यह असमानता है मज़दूरों के बीच। सैलेरी की असमानता तो है ही, मानवीय असमानता भी है। इस असमानता को दूर करने के लिए भी सरकार कोई विचार करेंगी?

†Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

श्री शरद यादव: महोदय, इसके लिए सारे सिस्टम बने हुए हैं, सेंट्रल ऐडवाईज़री बोर्ड बना हुआ है। माननीय आज़म खान जी ने जो प्रश्न पूछा है, उस बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून सब तरह के हैं, ऐक्शन भी होता है, कार्यवाही भी होती है लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं कि उसके बावजूद भी गरीबी इतनी है कि इल्लीगल तरीके से कोयला निकाला जाता है। इस बारे में विचार-विमर्श करने के लिए जब मैंने बिहार का दौरा किया तो मैं अपने सारे अधिकारियों से मिला, वहां के लोगों से मिला तो मैंने देखा कि इल्लीगल कोयला निकालने वाले लोग लाइन से साईकिल पर चले जा रहे हैं। अब यह मानवीय सवाल है कि अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनका पेट उससे भरा जा रहा है, यदि हम कड़ाई करेंगे तो वह दिक्कत हमारे सामने आएगी।

सभापति महोदय, आज़म खान साहब ने जो बात कही है, मैं मानता हूं कि किस तरह के काम वहां हो रहे हैं लेकिन यह सब गरीबी के कारण हो रहा है और इसमें जो रजामंदी से होता है, उसके लिए किसी तरह से हम लोगों के हाथ में कोई रास्ता नहीं होता है और न उसे रोकने के लिए हमारे पास इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है।

निश्चित तौर पर उन्होंने जो कैंटीन वाला मामला उठाया है, उसमें कैसे सुधार हो, वह कैसे ठीक हो, उसको हम लोग फौलो- अप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। यह जो खाने वाली बात आपने कही है, इसको हम जरुर देखेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खान: उनको कम से कम न्यूनतम वेजेज़ मिलें, इसको तो आप सुनिश्चित करिए। मिनिमम वेज़ेज देने के लिए आप पाबंद हैं, वह भी उनको नहीं मिल रहा है। इसकी तो आप घोषणा कर दीजिए कि आप मिनिमम वेजेज़ दिलवाएंगे।

श्री शरद यादव: हमने 3,500 केस चलाए हैं, रजिस्टर किए हैं और मिनिमम वेजेज़ उनको मिलने ही चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी विभाग आते हैं चाहे वे रोड से संबंधित हों, चाहे वे रेल से संबंधित हों, उन पर तो हमारा जोर चलता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पर हमारा जोर नहीं चलता है।

श्री मोहम्मद आज़म खान: आप राज्य सरकार को बाध्य कीजिए इसके लिए।

श्री शरद यादव: हम उनसे बात करते रहते हैं। इसके लिए त्रिपक्षीय समिति भी है।

श्री जीवन राय: 75 प्रतिशत मजदूरों को मिनिमम वेजेज़ नहीं मिल रहे हैं। कुछ भी कोजिए, मेहरबानी करके इसको देखिए।

श्री शरद यादव: हमारी पूरी कोशिश है। मैं मानता हूं कि यह मामला परफैक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं हैं, इसको दुरुस्त करने की जरुरत है। राज्य सरकार के साथ ही इसको उठाया जाएगा क्योंकि अधिकांश कांट्रैक्ट लेबर राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Mr. Chairman, Sir, I want to know from the hon. Minister whether he has got any information regarding the number of contract labours working, at least, in the public sector undertakings throughout the country. In spite of the judgement delivered by the hon. Supreme Court—"equal pay for equal work"—a person working as a contract labour is getting lesser wages than a regular worker in the same Central public sector undertaking. Why is it so?

Part (b) of my question is, we have hon. Supreme Court's judgements regarding "appropriate Government" in relation to the Airports Authority of India and the Gujarat State Electricity Board and, again, in another case recently, there is a confusion, because the hon. Supreme Court said, in one case, that the appropriate Government would be the administrative Department. That means, in the case of a Central public sector undertaking, it is the Central Government. In the case of a State Government public sector undertaking, it is the State Government. Now, in the recent judgement, it has been said that the State Government would be the appropriate Government.

Regarding regularisation of the services of contract labour, the different judgements have been given. I would like to know from the Minister whether the Government is contemplating to take appropriate steps in view of the Supreme Court judgement, so that the contract labour who have been working in the Central public sector undertakings for 15,20 and 30 years are regularised in their respective posts.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने शुरु में ही निवेदन किया कि ये जो पुराने कानून हैं, वे बहुत साफ नहीं हैं, वे पुराने पड़ गए हैं। माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज हैं, उनमें जो कांट्रेक्ट लेबर हैं, ऐसे तकरीबन 7,75,000 लेबर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, औऱ निश्चित तौर पर हमारी यह कोशिश होती है । हां यहां कि उनको मिनिमम वेजेज़ मिलें और तब उनको मिनिमम वेजेज नहीं मिलते हैं. तो इसके लिए हम लोग केसेज भी दायर करते हैं। मैं सदन को यह बहतान चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कांट्रैक्टर लेबर आते हैं, उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर है और हमारी पूरी कोशिश होती है। हां , कई जगह हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सीमाएं हैं उसमें पूरी तरह से हम इसका जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते । लेकिन निश्चित तौर पर हमारे पास जो कांट्रैक्टर लेबर हैं उसके बारे में हम लोग सतर्क भी रहते हैं और केसेज भी दायर करते हैं और हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है क उनको मिनिमम वेजेज़ से नीचे नहीं मिले और निश्चित तौर पर जनरली यह काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कांट्रेक्ट लेबर के लिए हो रहा है ।

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, a recent decision given by the Supreme Court has created a new situation whereby the minimum interests of the contract labour are put in jeopardy. The only legislation which gave some protection to the contract labour was the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act. And there was some minimum provision that if workers engaged for regular work in a factory and if, on verification, it was found that they were working in regular manufacturing process, then, in that case, they would have to be regularised. This was the provision. But, according to the new decision given by the Supreme Court, even though the provision in the law remains, it will not work. When the Supreme Court gives a decision, it becomes a case law. Now, our hon. Minister has said that the existing law is obsolete and a new law is going to be enforced. I do not go into how the Government is going to do it, from the Government side. But, what I would like to know is whether the Minister will give an assurance that in the new legislation, the minimum protection that was given in the earlier law will be continued or ensured.

श्री शरद यादव: सर, मैं माननीय सदस्य को एक बार पक्का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो 1970 का ऐक्ट है उसके कोई मायने नहीं हैं, उसमें कोई प्रोटेक्शन को नहीं है । उसकी सोशल प्रोटेक्शन को लेकर उसको कैसे बैटर किया जा सकता है, यह हम लोगों होगी कि कोशिश होगी कि जो भी कानून बने वह देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, देश एम्पलायमेंट को जेनरेट करने के लिए औऱ जो मजदूर हैं उनके हित को भी प्रोक्टेक्ट करने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय: आप एश्यूरेंस दीजिए ...(**व्यवधान**)... 'बी' में जो आपने प्रोटेक्शन दिया है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. Let him reply.

श्री शरद यादव:सभापति महोदय, इस सवाल पर जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं मैं आपने निवेदेन करना चाहता हूं कि चूंकि यह जेरे बहस हैं और हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि देश के हित के लिए यानी देश कैसै डेवलप्ड हो, इण्डस्ट्री कैसे बढ़े, एम्प्लोयमेंट कैसे जेनरेट हो और यह जो लेबर लॉज है, जो यह कांट्रेक्ट लेबर लॉ है इसमें कोई बहुत ज्यादा तथ्य, दम नहीं है । इसे मजबूत कर कैसे आगे बढ़ाया जाए निश्चित तौर पर हम लोग इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Next question. Mr. Patel.

*65. [Tie *questioner (Dr. A.K. Patel) was absent. For answer, vide page 25-infm]*

MR. CHAIRMAN: Question No. 66.